बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

संकल्प

विषयः– **खरीफ विपणन मौसम 2025–26 एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 7000 (सात हजार) करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने एवं एतद्र्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में।**

खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में राज्य के कृषको को उनके धान एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 में गेहूँ उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आपात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्वेश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैंक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जाना है।

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान/गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हेतु सहकारी बैंक द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध करायी जाती है तथा PFMS के माध्यम से किसानों के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है। पैक्सों के द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल/गेहूँ आपूर्ति के उपरांत निर्धारित मूल्य के अनुसार निगम द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र में लाभान्वित किसानों को तत्काल भुगतान हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलो के पास पर्याप्त राशि रहना आवश्यक है।

3. पैक्सों/व्यपार मंडलों के पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश–क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को एतद्र्थ कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है।

4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति के अनुमानित लक्ष्य के आलोक में कैश–क्रेडिट ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्सों/व्यापार मंडलों

को उपलब्ध कराने हेतु लगभग 8822 (आठ हजार आठ सौ बाईस) करोड़ रूपये की आवश्यकता है, जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या– अ0पा0–32/2023–554/वि0 दिनांक 18 जुलाई 2025 की कंडिका–4 के आलोक में उक्त आवश्यक ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण राशि के 80 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत (79.35 प्रतिशत) अर्थात 7000 (सात हजार) करोड़ रूपये राजकीय गारंटी की आवश्यकता है।

5. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को विभिन्न वित्तीय वर्षों में धान/गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी राजकीय गारंटी पर प्राप्त ऋण की शतप्रतिशत वापसी ब्याज सहित अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न होने के पश्चात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं नाबार्ड को की जा चुकी है।

6. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिप्राप्ति कार्य हेतु 7000 (सात हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्ति पर गारंटी इस स्वरूप में प्रदान की जानी है ताकि इस गारंटी से राज्य सहकारी बैंक को उक्त अधिसीमा में प्राप्त ऋण के साथ–साथ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये गये ऋण तथा पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैकों के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिये गये ऋण भी आच्छादित रहेंगे।

7. खरीफ विपणन मौसम 2025–26 एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलो के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा। इस राजकीय गारंटी के अधीन प्राप्त ऋण का उपयोग संबंधित सहकारी बैंकों के द्वारा विर्निदिष्ट प्रयोजन तथा अधिप्राप्ति वर्ष अन्तर्गत ही किया जा सकेगा।

8. खरीफ विपणन मौसम 2025–26 एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 7000 (सात हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतद्र्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

9. प्रस्तावित राजकीय गारंटी ऋण की राशि के ससमय वापसी करने की जिम्मेवारी बिहार राज्य सहकारी बैंक की होगी। साथ ही, राजकीय गारंटी के बदले गारंटी शुल्क वसूल की जाएगी, जो कि राजकीय गारंटी पर लिए गए ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत होगी। उक्त सभी गारंटी शुल्क चालान के माध्यम से राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा किया जाना होगा।

10. वित्त विभाग बिहार, पटना द्वारा गारंटी हेतु प्राप्त सहमति के अनुपालन में प्रत्येक माह गारंटी से संबंधित विवरण तथा विहित प्रपत्र में अद्यतन सूचना बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना द्वारा नियमित रूप से वित्त विभाग एवं विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.01.2026 में मद संख्या–11 के रूप में (संचिका संख्या–04/नि॰ अधि॰ (कैश–क्रेडिट–11)–04/2020 'खंड–B' पृष्ठ–144/टि॰) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/1

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 319 /पटना, दिनांक : 15/01/26
04/नि॰ अधि॰ (कैश–क्रेडिट–11)–04/2020 'खंड–B'

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 319 /पटना, दिनांक : 15/01/26
04/नि॰ अधि॰ (कैश–क्रेडिट–11)–04/2020 'खंड–B'

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 319 /पटना, दिनांक : 15/01/26

04/नि॰ अधि॰ (कैश–क्रेडिट–11)–04/2020 'खंड–B'

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सरकार के सचिव।